कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/1152/छात्रावास/सं.संचा./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 06 /07/2020

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी (सर्व)
   सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़
2. सहायक आयुक्त (सर्व)
   (आदिवासी विकास)
   सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़

विषय :- छात्रावास/आश्रमों में अधीक्षक तथा मण्डल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के संबंध में दिशा निर्देश।

---00---

विषयांन्तर्गत् आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों में अधीक्षक एवं मण्डल संयोजक के पद पर शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नांकित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1-2/2015/1/एक/दिनांक 05 मार्च 2019 के निर्देश क्र0 5 अनुसार अधीक्षक के रिक्त पद के विरूद्व कार्यरत शिक्षक प्रतिनियुक्ति/प्रभार पर माना जायेगा।
2. छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1/2005/25/1 रायपुर दिनांक 16.09.2010 तथा छ.ग. राजपत्र दिनांक 28.09.2011 के अनुसार विभिन्न स्तर के छात्रावास/आश्रम अधीक्षकों के पद पूर्ति हेतु शिक्षक संवर्ग के समकक्ष वेतनमान सहित स्वीकृति प्रदान किया गया है। जो निम्नानुसार है-

क्र.	छात्रावास का स्तर	सीट	अधीक्षक का श्रेणी	अधीक्षक के समकक्ष शिक्षकीय पदनाम	वेतनमान
1.	कन्या शिक्षा परिसर	कक्षा-1 से 12 तक	'ब'	व्याख्याता/व्याख्याता एल. बी.	9300-34800+4300 ग्रेड पे (लेवल-9)
2.	पो0मै0 छात्रावास	100	'ब'	व्याख्याता/व्याख्याता एल. बी.	9300-34800+4300 ग्रेड पे (लेवल-9)
3.	पो0मै0 छात्रावास	50	'स'	शिक्षक/शिक्षक एल.बी.	9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-8)
4.	प्री0मै0 छात्रावास	100	'स'	शिक्षक/शिक्षक एल.बी.	9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-8)
5.	प्री0मै0 छात्रावास	50	'द'	सहायक शिक्षक/ स.शि. एल.बी.	5200-20200+2400 ग्रेड पे (लेवल-6)
6.	आश्रम (माध्यमिक स्तर)	100	'स'	शिक्षक/ शिक्षक एल.बी. /प्र.पाठक प्रा.शा.	9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-8)
7.	आश्रम (माध्यमिक स्तर)	50	'स'	शिक्षक/ शिक्षक एल.बी. /प्र.पाठक प्रा.शा.	9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-8)
8.	आश्रम (प्राथमिक स्तर)	100	'स'	शिक्षक/ शिक्षक एल.बी. /प्र.पाठक प्रा.शा.	9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-8)
9.	आश्रम (प्राथमिक स्तर)	50	'स'	शिक्षक/ शिक्षक एल.बी. /प्र.पाठक प्रा.शा.	9300-34800+4200 ग्रेड पे (लेवल-8)

3. आपके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार कई छात्रावास/आश्रम अधीक्षकों के पद पर समकक्ष शिक्षकीय अमला कार्यरत नहीं है। अतः क्रमांक 02 अनुसार नियम विरूद्व अधीक्षक पद पर कार्यरत अधीक्षक को मूल पदस्थापना शाला हेतु कार्यमुक्त की कार्यवाही की जावे।
4. अधीक्षक के पद पर शिक्षकीय अमला से पदस्थापना की कार्यवाही क्र0 02 में दिये गये दिशा–निर्देश अनुसार कार्यवाही की जावे।
5. विभागीय संविलियन आदेश दिनांक 2015 के पश्चात् पदस्थ किये गये सहायक शिक्षक/प्रधान पाठक प्रा0शा0 के संबंध में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से तथा उ0वर्ग शिक्षक/व्याख्याता के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त कर अधीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति प्रदान की जावे।
6. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधीक्षक (शिक्षकीय अमला) का वेतन आहरण सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय से देय होगा। इनका समस्त शासकीय अभिलेख अधीक्षक के पद पर कार्य करने तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में संधारित किया जाये।
7. अधीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु शिक्षकीय अमला यथा प्रधान पाठक(मा0शाला)/प्राचार्य हा0से0/हाई स्कूल तथा व्याख्याता (गणित/विज्ञान समूह/वाणिज्य/अंग्रेजी) को आदेशित न किया जाये।
8. छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9–7/25–1/2010 रायपुर दिनांक 01 मई 2015 के निर्देशानुसार शिक्षकीय अमला जो आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला/विकासखण्ड कार्यालयों में संलग्न कर्मचारियों को तत्काल संबंधित शाला हेतु कार्यमुक्त किया गया है। कई विकासखण्डों में मण्डल संयोजक का कार्य उच्च वर्ग शिक्षक/प्रधान पाठक (मा0शा0) के द्वारा संपादित कराया जा रहा है। मण्डल संयोजक पद का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 है तथा उ0वर्ग शिक्षक/प्रधान पाठक (मा0शा0) का वेतनमान मण्डल संयोजक के वेतनमान से अधिक है। अतः मण्डल संयोजक (निम्न वेतनमान) के पद पर उ0वर्ग शिक्षक/प्रधान पाठक (मा0शा0) (उच्च वेतनमान) के द्वारा संपादित किया जाना शासकीय नियम के विरूद्व है। अतएव उपरोक्त संवर्ग के शिक्षकों को उनके मुल पदस्थापना शाला हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें । उपरोक्त पदो पर राज्य स्तर से पदस्थ किए गए शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारियों पर यह कार्यवाही बंधनकारी नहीं होगी।

अतः उपरोक्तानुसार परीक्षण कर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर,छत्तीसगढ

प.क्रमांक/1153/छात्रावास/सं.संचा./2020 — अम्बिकापुर, दिनांक 06/07/2020

प्रतिलिपि :–
1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटलनगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर (सर्व) सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग
अम्बिकापुर,छत्तीसगढ

कार्यालय कलेक्टर, (आदिम जाति कल्याण शाखा) जिला–जशपुर (छ.ग.)

—— :: आदेश ::——

क्रमाँक/2972/छात्रा.स्था./आ.जा.क./2025–26/ जशपुर, दिनाँक :– 12/12/2025

कार्यालयीन आदेश क्रमाँक/2701/छात्रा.स्था./आ.जा.क./2025–26/जशपुर, दिनाँक 21.11.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीमती दीपिका सिंह, व्याख्याता (एल.बी.), शासकीय कन्या उ.मा. विद्यालय, पण्डरीपानी, विकास खण्ड–फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) को शासकीय प्री.मैट्रिक अ.ज.जा. कन्या छात्रावास, पण्डरीपानी, विकास खण्ड–फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) में आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभारी अधीक्षक का कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है।

श्रीमती दीपिका सिंह, व्याख्याता (एल.बी.) प्रभारी अधीक्षक के वेतन–भत्ते का आहरण मूल पदस्थापना संस्था से होगा।

श्रीमती अनुपा बड़ा, प्रभारी अधीक्षक, शासकीय प्री.मैट्रिक अ.ज.जा. कन्या छात्रावास, पण्डरीपानी, वि.खं फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) को उनके मूल पदस्थापना संस्था– शासकीय प्राथमिक शाला, फोकटपारा (जामटोली), विकास खण्ड–फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमाँक/2972/छात्रा.स्था./आ.जा.क./2025–26/ जशपुर, दिनाँक :– 12/12/2025

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओ सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक 4डी, भूतल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर को सूचनार्थ।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, शासकीय कन्या उ.मा. विद्यालय, पण्डरीपानी, विकास खण्ड–फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मण्डल संयोजक (आ.जा.क.), विकास खण्ड–फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक, शासकीय प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, पण्डरीपानी, वि.खं फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
8. शाखा प्रभारी, छात्रावास–आश्रम/स्थापना/बजट/देयक शाखा, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
9. श्रीमती अनुपा बड़ा, प्रभारी अधीक्षक, शासकीय प्री.मैट्रिक अ.ज.जा. कन्या छात्रावास, पण्डरीपानी, वि.खं फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. श्रीमती दीपिका सिंह, व्याख्याता (एल.बी.), शासकीय कन्या उ.मा. विद्यालय, पण्डरीपानी, विकास खण्ड–फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जशपुर (छ.ग.)

प्रति,

(1) माननीय श्री विष्णुदेव साय जी,
मुख्यमत्री
छ0ग0 शासन रायपुर छ0ग0

(2) श्रीमान कलेक्टर
जिला जशपुर छ0ग0
(3) संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर
(4)सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर छ.ग.

सदर्भ– आदेश क्रमांक 1152/छात्रावास/सं.संचा/2020 अम्बिकापुर दिनांक 06/07/2020 छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश के कंडिका 7 में उल्लेखित व्याख्याता अंग्रेजी को आदेशित न किया जावे। के पश्चात भी नियम विरूद्ध श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता अंग्रेजी विषय को छात्रावास अधीक्षिका के पद पर नियुक्त करने के संबंध में।

विषय :– श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता (अंग्रेजी) शास.कन्या उच्चतर माध्य वि पण्डरीपानी वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर कि नियुक्ति नियमो को ताक में रख कर नियम विरूद्ध पदस्थापना को खारिज करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता (अंग्रेजी) शास.कन्या उच्चतर माध्य वि पण्डरीपानी वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर में पदस्थ है।

(1)यह कि श्रीमती दीपिका सिह अंग्रेजी विषय की व्याख्याता है नियम में स्पष्ट लिखा है कि व्याख्याता अंग्रेजी की अधीक्षिका पद पर नियुक्ति न की जावे।

(2) श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता (अंग्रेजी) पण्डरीपानी में छात्रावास के पास ही इनका (निजी स्वंय का मकान है) जहॉं छात्रवास हो वही निजी मकान, जिसके कारण आमजनो में चर्चा का विषय है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की करीबी होने का दावा करते हुए प्रभारी अधीक्षिका का पद नियम विरूद्ध हासिल की गई।

यह कि श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता (अंग्रेजी) जो कि युक्तियुक्तकरण नियमावली में इनका मुख्य विषय है जिसके कारण इनका किसी अन्यत्र अटैमेन्ट नही किया जा सकता।
यह कि इनका निजी मकान छात्रावास के पास है तथा वर्तमान में व्याख्याता (अंग्रेजी) शास. कन्या उच्चतर माध्य वि पण्डरीपानी में ही नियुक्त है जिसके कारण ये अपात्र है

अतः माननीय महोदय जी से आग्रह है कि वर्तमान छात्रावास अधीक्षिका को न हटाते हुए पूर्व में विवादित एंव अपने आप को मुख्यमंत्री का करीबी बताने वाली नियमो को ताक में रख कर प्रभारी अधीक्षिका की पद हासिल करने वाली अंग्रेजी विषय अपात्र की नियुक्ति की जॉंच कर खारिज करने की महान कृपा करें।

संलग्न प्रपत्रः– कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अबिकापुर का(*अंग्रेजी विषय की व्याख्याता को छात्रावास अधीक्षक नियुक्त नही करने का स्पष्ट आदेश)*
छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश निदेशिका की छायाप्रति।(कंडिका 7 संलग्न)

(2)श्रीमती दीपिका सिंह व्याख्याता अंग्रेजी का नियम विरूद्ध की गई प्रभारी अधीक्षिका नियुक्ति की छाया प्रति।

(3) अंग्रेजी व्याख्याता की नियुक्त नही करने आग्रह किए गए पत्र की छायाप्रति।

प्रतिलिपिः– (नेता प्रतिपक्ष विधानसभा रायपुर छ.ग
आई.बी.सी न्युज (छत्तीसगढ़) चैनल रायपुर छ.ग

आकाक्षा टोप्पो यूटूबर
लोकल समाचार पत्र जिला जशपुर

आवेदिका
श्रीमती अनुपा बडा

वर्तमान प्रभारी.अ. पण्डीपानी
वि.ख फरसाबाहर

15/12/2025, 11:51

प्रति,

(1) माननीय श्री विष्णुदेव साय जी,
मुख्यमंत्री
छ0ग0 शासन रायपुर छ0ग0

(2) श्रीमान कलेक्टर
जिला जशपुर छ0ग0

(3) संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर

(4) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर छ.ग.

विषय :–कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर के आदेश आदेश कमांक 1152/छात्रावास/सं.संचा/2020 अम्बिकापुर दिनांक 06/07/2020 छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश के कंडिका 7 में स्पष्ट उल्लेखित है कि व्याख्याता अंग्रेजी को आदेशित न किया जावे उसके पश्चात भी कर नियम को ताक में रख कर अपात्र व्याख्याता को पण्डरीपानी कन्या छात्रावास वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर में नियुक्त किये जाने के शिकायत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर के आदेश कमांक1152/छात्रावास/सं.संचा/2020 अम्बिकापुर दिनांक 06/07/2020 छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश के कंडिका 7 में स्पष्ट उल्लेखित है कि व्याख्याता अंग्रेजी को आदेशित न किया जावे उसके पश्चात भी नियम को ताक में रख कर अपात्र व्याख्याता को पण्डरीपानी कन्या छात्रावास वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर में नियुक्त किये जाने हेतु आदेशित किया जा रहा है।

अतः निवेदन है कि पूर्व में पदस्थ अधीक्षिका को न हटाते हुए अपात्र किसी भी को पण्डरीपानी कन्या छात्रावास वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर नियम विरूद्ध पदस्थापना नही करने की महान कृपा करें।

संलग्न प्रपत्रः– कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर का छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश निर्देशिका की छायाप्रति।

2. फुलेश्वर भगत (पंच) उपाध्यक्ष
3. [illegible] सदस्य (पालक)

प्राप्त दि० 10/12/25
हस्ताक्षर
आवक शाखा

आग्रहकर्ता
समस्त समिति सदस्य

[illegible]Kka (अध्यक्ष)
(पालक)

प्रति,

(1) माननीय श्री विष्णुदेव साय जी,
मुख्यमत्री
छ0ग0 शासन रायपुर छ0ग0

(2) श्रीमान कलेक्टर
जिला जशपुर छ0ग0
(3) संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर
(4)सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर छ.ग.

सदर्भः– आदेश कमांक 1152/छात्रावास/सं.संचा/2020 अम्बिकापुर दिनांक 06/07/2020 छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश के कंडिका 7 में उल्लेखित व्याख्याता अंग्रेजी को आदेशित न किया जावे। के पश्चात भी नियम विरूद्ध श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता अंग्रेजी विषय को छात्रावास अधीक्षिका के पद पर नियुक्त करने के संबंध में।

विषय :– श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता (अंग्रेजी) शास.कन्या उच्चतर माध्य वि पण्डरीपानी वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर कि नियुक्ति नियमो को ताक में रख कर नियम विरूद्ध पदस्थापना को खारिज करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता (अंग्रेजी) शास.कन्या उच्चतर माध्य वि पण्डरीपानी वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर में पदस्थ है।

(1)यह कि श्रीमती दीपिका सिह अंग्रेजी विषय की व्याख्याता है नियम में स्पष्ट लिखा है कि व्याख्याता अंग्रेजी की अधीक्षिका पद पर नियुक्ति न की जावे।

(2) श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता (अंग्रेजी) पण्डरीपानी में छात्रावास के पास ही इनका (निजी स्वंय का मकान है) जहॉ छात्रवास हो वही निजी मकान, जिसके कारण आमजनो में चर्चा का विषय है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की करीबी होने का दावा करते हुए प्रभारी अधीक्षिका का पद नियम विरूद्ध हासिल की गई।

यह कि श्रीमती दीपिका सिह व्याख्याता (अंग्रेजी) जो कि युक्तियुक्तकरण नियमावली में इनका मुख्य विषय है जिसके कारण इनका किसी अन्यत्र अटैमेन्ट नही किया जा सकता। यह कि इनका निजी मकान छात्रावास के पास है तथा वर्तमान में व्याख्याता (अंग्रेजी) शास. कन्या उच्चतर माध्य वि पण्डरीपानी में ही नियुक्त है जिसके कारण ये अपात्र है

अतः माननीय महोदय जी से आग्रह है कि वर्तमान छात्रावास अधीक्षिका को न हटाते हुए पूर्व में विवादित एंव अपने आप को मुख्यमंत्री का करीबी बताने वाली नियमो को ताक में रख कर प्रभारी अधीक्षिका की पद हासिल करने वाली अंग्रेजी विषय अपात्र की नियुक्ति की जॉच कर खारिज करने की महान कृपा करें।

संलग्न प्रपत्रः– कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अबिकापुर का(*अंग्रेजी विषय की व्याख्याता को छात्रावास अधीक्षक नियुक्त नही करने का स्पष्ट आदेश)*

छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश निदेशिका की छायाप्रति।(कंडिका 7 संलग्न)

(2)श्रीमती दीपिका सिंह व्याख्याता अंग्रेजी का नियम विरूद्ध की गई प्रभारी अधीक्षिका नियुक्ति की छाया प्रति।

(3) अंग्रेजी व्याख्याता की नियुक्त नही करने आग्रह किए गए पत्र की छायाप्रति।

प्रतिलिपिः– (नेता प्रतिपक्ष विधानसभा रायपुर छ.ग
आई.बी.सी न्युज (छत्तीसगढ़) चैनल रायपुर छ.ग

आकाक्षा टोप्पो यूटूबर
लोकल समाचार पत्र जिला जशपुर

आवेदिका
श्रीमती अनुपा बडा

वर्तमान प्रभारी.अ. पण्डीपानी
वि.ख फरसाबाहर

संभागीय संयुक्त संचालक (छ.ग.) क्र. दि.15/12/23

प्रति,

(1) माननीय श्री विष्णुदेव साय जी
मुख्यमंत्री
छ0ग0 शासन रायपुर छ0ग0

(2) श्रीमान कलेक्टर
जिला जशपुर छ0ग0

(3) संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर

(4) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर छ.ग.

विषय :—कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर के आदेश ***आदेश क्रमांक 1152/छात्रावास/सं.संचा/2020 अम्बिकापुर दिनांक 06/07/2020 छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश के कंडिका 7 में स्पष्ट उल्लेखित है कि व्याख्याता अंग्रेजी को आदेशित न किया जावे उसके पश्चात भी कर नियम को ताक में रख कर अपात्र व्याख्याता को पण्डरीपानी कन्या छात्रावास*** वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर ***में नियुक्त किये जाने के शिकायत के संबध में।***

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर के ***आदेश क्रमांक1152/छात्रावास/सं.संचा/2020 अम्बिकापुर दिनांक 06/07/2020 छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक तथा मंडल संयोजक के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश के कंडिका 7 में स्पष्ट उल्लेखित है कि व्याख्याता अंग्रेजी को आदेशित न किया जावे उसके पश्चात भी नियम को ताक में रख कर अपात्र व्याख्याता को पण्डरीपानी कन्या छात्रावास*** वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर ***में नियुक्त किये जाने हेतु आदेशित किया जा रहा है।***

अतः निवेदन है कि पूर्व में पदस्थ अधीक्षिका को न हटाते हुए अपात्र किसी भी को पण्डरीपानी कन्या छात्रावास वि.ख फरसाबाहर जिला जशपुर नियम विरूद्व ***पदस्थापना*** नही करने की महान कृपा करें।

संलग्न प्रपत्रः— कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अबिकापुर का छात्रावास /आश्रमो अधीक्षक **तथा मंडल संयोजक** के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्य करने के दिशा निर्देश निदेशिका की छायाप्रति।

2. फुलेश्वर भगत (पंच) उपाध्यक्ष
3. Prinkra सपस्या (पालक)

आग्रहकर्ता
...अग्री समिति सदस्य
(अध्यक्ष)
(पालक)

15/12/2025, 11:51

Time Limit Letter Monitoring System
Jashpur

https://www.tljashpur.in
कलेक्टर ऑफिस टोकन नम्बर
TL2025121511512707
दिनांक:15-12-2025

छ0ग0

...में तीन से चार बार पदस्थापना पदांकन कर शास...

...लेख है कि मै श्रीमती अनुपा बडा वर्तमान प्रभारी ...छात्रावास पण्डरीपानी।

...री जिला जशपुर छ.ग. आदेश कमांक /1753/शिक्षा ...पुर दिनांक 04.06.2025 के तहत युक्तियुक्तकरण कर (1) ...फरसाबहार से शास. प्रा.शा फोकटपारा(जामटोली) वि.ख

(2) कार्यालय कलेक्टर(आदिम जाति कल्याण शाखा) जिला–जशपुर छ.ग. आदेश कमांक/1035/आ.जा.क/2024–25/ जशपुर दिनांक 16/05/2025 प्राथमिक शाला भगतटोली बनगॉव से अधीक्षिका शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम बनगॉव वि.ख फरसाबहार।

(3) कार्यालय कलेक्टर(आदिम जाति कल्याण शाखा) जिला –जशपुर आदेश कमाक2701/छात्रा. स्था/आ.जा.क/2025–28/ जशपुर दिनांक 21/11/2025 आदेश कमांक के तहत छात्रावास अधीक्षिका श्रेणी स को पदोन्नत पदस्थापना संस्था के तहत शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम बनगॉव फरसाबहार से प्रभारी अधीक्षिका शासकीय प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास पण्डरीपानी वि.ख फरसाबहार।

(4)कार्यालय कलेक्टर(आदिम जाति कल्याण शाखा) जिला जशपुर छ.ग. आदेश कमांक/2972/छात्रा स्था./आ.जा.क/2025–26 जशपुर दिनांक 12.12.2025

यह कि इस तरह एक शिक्षण सत्र में 4 (चार बार) पदांकन किसी भी दृष्टि से ठीक नही है पूर्व में उच्च न्यायलय ने भी एक शिक्षण सत्र में चार बार पदांकन को अवैध माना हुआ है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अंतिम आदेश जो कि कुटनीति राजनीति से प्रेरित है तथा कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर के आदेश छात्रावास/आश्रमों में अधीक्षक पद पर नियुक्ति नियमावली के कंडिका 7 में उल्लेखित किसी अंग्रेजी व्याख्याता को छात्रावास अधीक्षिका के पद पर आदेशित नही करने का खुला अवहेलना कर आदेशित किया गया है। अंग्रेजी व्याख्याता छात्रावास अधीक्षक के आदेश को निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्न–संबंधित समस्त दस्तावेज की छायाप्रति।
1.अंग्रेजी व्याख्याता का नियम विरूद्ध नियुक्ति आदेश की छाया प्रति।
2 कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शि का नियमावली की छाया प्रति
समस्त आदेश की छायाप्रति।

15/12/25

प्रार्थी
श्रीमती अनुपा बडा
वर्तमान प्रभारी अधीक्षिका
शास .प्री.मै आदिवासी कन्या छात्रावास पण्डरीपानी

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर,
जिला- जशपुर (छ॰ग॰)

विषय - प्रभारी छात्रावास अधीक्षक पद पर प्रार्थी को यथावत रखने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी श्रीमती अनुपा बड़ा आदेश क्र०/1035/छा॰स्था॰/आ॰जा॰क॰/2024-25 जशपुर दिनांक 16/05/2025 के तहत दिनांक 03/12/2025 तक शा॰ कन्या आश्रम बनगांव में प्रभारी आश्रम अधीक्षिका के रूप में कार्यरत थी एवं मेरे द्वारा दिनांक 04/12/2025 को मूल अधीक्षकों का श्रेणी 'द' से 'स' में पदोन्नति पश्चात आदेश क्र०/2701/छा॰स्था॰/अ॰ज॰क॰/2025-26/ जशपुर दिनांक 21/11/2025 के तहत शा॰ प्री मैं: आदिवासी कन्या छात्रावास पण्डरीपानी में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। आदरणीय श्रीमान जी इन दिवसों में छात्रावास के संपूर्ण गतिविधियों एवं विभागीय आदेशों निर्देशों का मेरे द्वारा पूरे ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठता से पालन किया गया है। अपितु आज के दिवस में कुछ राजनीतिक दबाव के कारण नियम विरुद्ध कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा अंबिकापुर, छ॰ग॰ के क्रमांक/1152/छात्रावास/सं॰संचा॰/2020 अम्बिकापुर दिनांक 06/07/2020 के कंडिका क्रमांक 07 की अवहेलना कर किसी अन्य प्रार्थी को मेरे स्थान पर पदस्थापित करने की बात कही जा रही है जो कि मेरे इस साल शिक्षा सत्र 2025-2026 के मध्य में। मैं अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ छात्रावास में ही रह कर संस्था का संचालन कर रही हूँ। मेरे पति (CAF) छ॰स॰ बल बास्तानार कैम्प जिला-बस्तर में अपनी सेवा दे रहे हैं और मेरी 7 वर्षीय बच्ची को पण्डरीपानी स्कूल में दाखिला कराई हूँ। ऐसे में इस शिक्षा सत्र में चूँकि बच्ची को छोड़कर 20-25 km दूर तत्काल व्यवस्था के साथ जा पाना संभव नहीं हो पायेगा।

अतः इस शिक्षा सत्र 2025-26 में शासकीय प्री. मै. कन्या छात्रावास प०डरीपानी वि.ख.-फरसाबहार जिला- जशपुर (छ.ग.) में ही प्रभारी अधीक्षिका पर रखे जाने हेतु विनम्र विनती श्रीमान के समक्ष सादर आवेदित है।

दिनांक
12/12/25

प्रार्थी

श्रीमती अनुपा बड़ा
शासकीय प्री. मै. कन्या छात्रावास
प०डरीपानी
वि.ख. फरसाबहार
जिला- जशपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर
प्रेषित दि० 12/12/...
हस्ताक्षर ....
आवक शाखा
जशपुर (छ.ग.)

विभागीय अधिकारियों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर

1.	मानू. श्री रामविचार नेताम जी	विभागीय मंत्री	0771-2510223
2.	श्री नरेन्द्र दुग्गा	आयुक्त आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग	0771-2263708
3.	श्री रोहित व्यास	जिला कलेक्टर जशपुर	9201277511
4.	श्री शशि मोहन सिंह	पुलिस अधीक्षक जशपुर	9726183921
5.	श्री संजय कुमार सिंह	सहायक आयुक्त	9009033678
6.	जिला शिक्षा अधिकारी	श्री प्रमोद भटनाकर	9425574073
7.	श्री अमित श्रीवास्तव	एस.डी.एम	7987878157